न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व दरख्वास्त संख्या : 231/2011

सायलान :-	बनाम गैरसायलान :-
1-रामपाल पुत्र छगनाराम बावरी	1-छगनाराम वल्द लाला कौम-बावरी
2-शेघाराम पुत्र छगनाराम	2-सुखीदेवी पत्नि छगनाराम बावरी
3-श्रवण पुत्र छगनाराम	3-छेलाराम पुत्र छगनाराम
जति-बावरी, निवासीगण-टुकड़ा	4-कैलाष पुत्र छगनाराम
तहसील-जैतारण, जिला-पाली	जति-बावरी, निवासीगण-टुकड़ा
	तहसील-जैतारण, जिला-पाली
	5-तहसीलदार जैतारण
	6-उप पंजीयन जैतारण
	7-सरपंच ग्राम पंचायत टुकडा
	8-जगदीष पुत्र मदनलाल मेघवाल
	निवासी-घसुण्डी वामनी, तह० नीमच, म०प्र०

प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम, 1955

एवं आदेश 39 अधिनियम 01 व 02 सपठित धारा एस.151 सी.पी.सी.

तारीख रजू:.29/12/2011

उपस्थित:. 1. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्त, सायलान।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 19/06/2015

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा हस्ब दफा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-टुकडा पटवार क्षैत्र-टुकड़ा, भू-अभिलेख क्षेत्र-रास, तहसील-जैतारन, जिला-पाली में खसरा संख्या 285/321 कुल क्षेत्रफल 10 बीघा, किस्म-बारानी अव्वल कृषि भूमि आई हूई हैं। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति साथ पेश की हैं। उक्त वर्णित कृषि आराजी में सायलान एवं गैरसायलान का संयुक्त हिस्सा है। उक्त कृषि आराजी हिन्दू मूस्त की खनदार की पूश्तैनी अविभजित अचल सम्पति है। प्रत्येक हिस्से द्वारा का संयुक्त कृषि आराजी में हिस्सा हैं। सायलान एवं गैरसान सं० क्रमश 1,2,3,4 का क्रमश 1/7 हिस्सा हैं अर्थात सायलान स० 1,2,3, का एवं गैर सायलान से 1,2,3,4 का 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7,1-7,1-7, क्रमशः मुतदाविया कृषि भूमि में हिस्सा है। उक्त कृषि आराजी का गैरसायल संख्या 01 ने गैर सायलान संख्या 08 को रजिस्टर्ड बेचान उप पंजीयन कार्यालय जैतारण में कर दिया, जो अविभाज्य हिन्दू पूश्तैनी कृषि भूमि आराजी है, जो गैर कानूनी है। सायलान एवं गैसायलान 1 से 8 कृर्शि आराजी पर शांतिपूर्वक उपयाग एवं उपभोग करते हैं। उक्त वर्णीत कृषि आराजी में सायलान का कब्जा काश्त है। अतः प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में है। सायलान उक्त कृषि भूमि का उपयोग एवं उपभोग करते है एवं काश्त करते हैं। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है। उक्त कृषि आराजी का बिना विभाजन

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण

Scanned by CamScanner

के हस्तान्तरण कर दिया तो सायलान व गैरसायलान संख्या 2,3,4 को अपूरणीय क्षति होगी, जो किसी कदर पूर्ति सम्भव नहीं हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को तलब किया गया। गै0सा0 संख्या 1 से 7 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गै0सा0 संख्या 8 राजस्थान से बाहर रहता हैं, जो सायल के कब्जे काश्त में दखल नहीं करता हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–टुकडा पटवार क्षैत्र–टुकड़ा, भू–अभिलेख क्षेत्र–रास, तहसील–जैतारन, जिला–पाली में खसरा संख्या 285/321 कुल क्षेत्रफल 10 बीघा, किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में सायल की हिस्से की भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा अन्य किसी को उक्त भूमि का बेचान, रहन, अन्य हस्तान्तरण आदि करने से गै0सा0 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के दिनांक 29/12/2011 को पाबन्द किया गया था। न्यायालय के आदेश दिनांक 29/12/2011 को पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता पत्रावली दाखिल दफ्तर अभिलेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 19/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–टूंकड़ा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner